



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 31

पटना, बुधवार,

8 श्रावण 1947 (श10)

30 जुलाई 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-04
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	05-06
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० 01/स्था०राज०-213/2021-1035—कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3208 एवं 3209 दिनांक-30.06.2025 के द्वारा बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी की सेवा गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारियों द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए कॉलम-6 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	योगदान की तिथि	पदस्थापन हेतु पद/कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार का पद/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री राम ईश्वर प्रसाद	पटना	04.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।	
2	श्री राम कुमार	जमुई	02.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास मुख्यालय (पटना)।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर, आरा।
3	श्री दीपक कुमार	पटना	04.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।	
4	श्री धर्मवीर सिंह	मुंगेर	01.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।
5	श्री सुबोध कुमार सुधांशु	नवादा	03.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।	
6	श्री अजित कुमार प्रसाद	पटना	03.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
7	श्री रजनीश कुमार गिरापुर	लखीसराय	04.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर।
8	श्री अभिनय प्रियदर्शी	नालंदा	07.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ।
9	श्री संजय कुमार	नवादा	07.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी/जमुई।
10	श्री अरविंद कुमार रवि	गयाजी	08.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।	
11	श्री ज्ञानेन्द्र नारायण झा	खगड़िया	09.07.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर।	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार, अवर सचिव।

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

अधिसूचना

23 जुलाई 2025

सं० ई२-२-२५/२०२२-१७—श्रीमती प्रियदर्शी पाल, ऊपर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) (HRMS-Employee Id-30049553) को स्वयं के विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक PCFC/ELECTION/BELS/2014/0073-921(23) दिनांक 30.06.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 05.05.2025 से 22.05.2025 तक उनके द्वारा उपभोगित कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 03.05.2025 एवं दिनांक 04.05.2025 को क्रमशः शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 04.05.2025 तक 102-18=84 दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० नि०वि०स्था०-122/2006 (खण्ड)-4950—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री जय प्रकाश मिश्रा को विभागीय अधिसूचना संख्या-2507 दिनांक 20.07.2021 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर प्रथम तीन वर्षों के लिए तथा अधिकतम उम्र सीमा 68 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त अनुबंधित शर्तों के आधार पर अस्थायी तौर पर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था। तदनुसार श्री मिश्रा द्वारा दिनांक 23.07.2021 को पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या-3823 दिनांक 05.08.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया था। पुनः इनके कार्यों के समीक्षोपरान्त अधिसूचना संख्या-3359 दिनांक 08.07.2024 द्वारा इनकी सेवा अवधि दिनांक 23.07.2024 से 22.07.2025 तक एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था।

2. वर्तमान में इनके कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इनकी सेवा/कार्य संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप श्री जय प्रकाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना की सेवा अवधि का विस्तार दिनांक 23.07.2025 से अगले एक वर्ष के लिए किया जाता है।

3. नियोजन संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-2507 दिनांक 20.07.2021 की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

4. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामाशंकर, संयुक्त सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order

The 22nd July 2025

No. XI-K-रा०-05/2024-118—In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-515, dated- 08.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Anil Kumar Tiwari	ADM, Nawada	District Level
02	Sri Shambhu Sharan Pandey	ADM(DPGRO), Nawada	District Level
03	Sri Abhay Kumar Tiwari	DLAO, Nawada	District Level
04	Sri Alok Kumar	DCO, Nawada	District Level
05	Sri Indrajeet Kumar	Subdivisional Agriculture Officer, Rajauli	Subdivisional Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 17.07.2025

By Order,

(Sd.) Illegible, Secretary to Commissioner,

वित्त विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2025

सं० 1/स्था०(ले०से०)-17/2024-8244/वि०—भवन निर्माण विभाग में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार का पद की रिक्ति नहीं रहने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-8039, दिनांक-17.07.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हिमांशु देव, बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा को निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	रौल नं०	नाम/संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5
1	138892	श्री हिमांशु देव, 07	प० चम्पारण	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

2. वे विभागीय अधिसूचना संख्या-8039, दिनांक-17.07.2025 के आलोक में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

3. अधिसूचना संख्या-8039, दिनांक-17.07.2025 इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत् रहेगा।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं० 693--में, अंकित राज, पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव, निवासी-201, मनोअमृत सदन, शांतिपथ, सरिस्ताबाद, पो.-जी.पी.ओ., थाना-गर्दनीबाग, पटना-1, शपथ पत्र संख्या 739, दिनांक 27.03.25 के अनुसार, भविष्य में अंकित श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊंगा।

अंकित राज।

No. 693--I, Ankit Raj, S/o Manoj Kumar Srivastwa, R/o 201, Manoamrit Sadan, Shanti Path, Saristabad, PO-GPO, PS - Gardanibagh, Patna - 1, vide Afd. No. 739 Dt. 27.03.25, shall be known as Ankit Srivastava for all future purposes.

Ankit Raj.

सं० 694--में, विकास राज, पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव, निवासी-201, मनोअमृत सदन, शांतिपथ, सरिस्ताबाद, पो.-जी.पी.ओ., थाना-गर्दनीबाग, पटना-1, शपथ पत्र संख्या 738, दिनांक 27.03.25 के अनुसार, भविष्य में विकास श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊंगा।

विकास राज।

No. 694-- I, Vikash Raj, S/o Manoj Kumar Srivastwa, R/o 201, Manoamrit Sadan, Shanti Path, Saristabad, PO - GPO, PS - Gardanibagh, Patna - 1, vide Afd. No. 738 Dt. 27.03.25, shall be known as Vikash Srivastava for all future purposes.

Vikash Raj.

No. 695--I Mira Kumari W/o Dudheshwar Singh, Resident of Vill-Hatiya, P.O.-Amoura, P.S.-Karakat, Dist.-Rohtas, Bihar-802214 as per affidavit no. 1535 dated 14.05.2025 that in my Aadhar Card, Pan Card and Educational documents correct my name has been written as is Mira Kumari but my wrongly written name is Meera Singh as my husband service recorded. That I will be know as Mira Kumari for all future purposes.

Mira Kumari.

No. 696--I NASRA Khatoon w/o Umar Ali, R/o-Village-Mukarri Kurwan Road; Chandwara, p. s- Town, dist:- Muzaf-farpur (Bihar) - 842001 declare vide affidavit no.-02/10 dated-05.05.2025 that Shadma Zarrie is my daughter. That in her 12th all educational documents my name mentioned as Nashra Khatoon. That Nasra khatoon and Nashra Khatoon are the names of same person. That instead of Nashra Khatoon I shall be known as Nasra Khatoon for all purposes.

NASRA Khatoon.

सं० 697--मैं अरुण कुमार चौधरी, (ARUN KUMAR CHOUDHARY) पिता-जनार्दन चौधरी, (JANARDAN CHAUDHARY) ग्राम-आजमपुर शंकर गंज, पोस्ट-सुखाशं, थाना-बखरी, सुखासन मिलिक, सुखासन जिला-कटिहार बिहार 854107 का स्थायी निवासी हूँ तथा शपथ पत्र सं० 753 दिनांक 26.06.2025 द्वारा यह सूचित करता हूँ कि मेरा आधार कार्ड नं० 5286 9977 6726 में मेरा नाम श्री अरुण कुमार चौधरी अंकित है। मेरे पैन कार्ड एवं वोटर आई कार्ड में मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी अंकित है। यह कि अब मैं श्री अरुण कुमार चौधरी के जगह पर अरुण कुमार चौधरी (ARUN KUMAR CHOUDHARY) के नाम से भविष्य में सभी कार्यों के लिए जाना व पहचाना जाऊँगा।

अरुण कुमार चौधरी (ARUN KUMAR CHOUDHARY).

No. 700--I, Ajit Kumar Jha S/o Surendra Jha R/o Jauhari Bazar, Sanchi Patti Hajipur, P.O.-Hajipur, P.S.-Hajipur Town, Vaishali, Bihar-844101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 111 dt. 20.05.2025 that Arush Bhardwaj is my minor son whose name is written in his Aadhar Card as Aarush Bhardwaj. As per 10th all educational documents his correct name is Arush Bhardwaj: Both names are same and one person. From Now he will be known as Arush Bhardwaj for all future purposes.

Ajit Kumar Jha.

No. 701--I, SUJEET KUMAR S/o SHYAM KISHORE SINGH, Residence of Gachhi Tola, Ibrahimpur, Ward No. 30, Nurnpur, Dist. - Begusarai, Bihar - 851210 do hereby solemnly affirm that KUMARI ANANYA is my daughter and my name has been wrongly mentioned as SUJEET KUMAR SINGH in her 10th certificate but my correct name is SUJEET KUMAR and I will be known as SUJEET KUMAR for all my future purposes. Affidavit No. 246, Date - 12/04/2025.

SUJEET KUMAR.

No. 702--I VEENA Kumari W/o Dharmendra Kumar, R/o J- 24 Chitragupta Nagar Kankarbagh, Patna - 800020 declare that my name has been wrongly written as Veena Devi in my Minor son Sudhanshu Raj CBSE Marksheet & other educational documents. The actual name of mine is Veena Kumari which may be amended accordingly.

VEENA Kumari.

No. 709--I, Aditi and Aditi Sharma D/o Er. Brajeshwar Thakur, Engineers Enclave Bibiganj, Bhagwanpur, Distt.-Muzaffarpur, Bihar-842001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1099 dr. 14.07.25 that my name is written in my Aadhar Card as -Aditi Sharma whereas in my educational documents written, as Aditi. Both names are same and one person. From now I shall be known as Aditi Thakur for all purposes.

Aditi and Aditi Sharma.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>